महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत

सोशल आडिट विषयक

राज्य स्तरीय संचेतना कार्यशाला

09 फरवरी, 2013

प्रतिवेदन

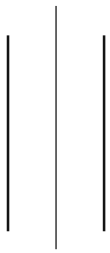

सौजन्य से

सोशल आडिट निदेशालय उ0प्र0,
लखनऊ–226001
एवं
दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0,
लखनऊ–226202

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत

सोशल आडिट विषयक राज्य स्तरीय संचेतना कार्यशाला

09 फरवरी, 2013

कार्यशाला टीम

सोशल आडिट निदेशालय

- शंकर सिंह, निदेशक
- राजवर्धन, सोशल आडिट विशेषज्ञ
- कृष्ण गोपाल, वित्त विशेषज्ञ

दी0द0उ0 राज्य ग्राम्य विकास संस्थान

- डॉ0 ओ0पी0 पाण्डेय, केन्द्र निदेशक
- डॉ0 राज किशोर, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी
- नेहा प्रकाश, संकाय सदस्य
- नवीन चन्द्र अवस्थी, संकाय सदस्य
- बरून कुमार आर्य, संकाय सदस्य

टंकण कार्य

- माला पाण्डेय एवं शिव भगवान
- लालता प्रसाद एवं अरूण कुमार

प्रायोजकः

सोशल आडिट निदेशालय, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पिन–226001 फैक्स : 0522–6713410 मो.नं. 9453535353
E-mail: socialauditup@yahoo.in

आयोजक :

जनसहभागिता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही केन्द्र
दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बी.के.टी., लखनऊ, उ0प्र0।
पिन–226202 दूरभाष : 05212–298292 फैक्स : 05212–298209
E-mail : sirdup2005@rediffmail.com, website: www.sirdup.in

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	पृष्ठभूमि	3–6
2	कार्यशाला का कार्यक्रम विवरण	7–8
3	कार्यशाला का कार्यवृत्त	9–19
4	कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले संसाधन व्यक्तियों / प्रतिभागियों की सूची	20–30

1

कार्यशाला की पृष्ठभूमि

1. परम्परागत आडिट

सामान्य आडिट द्वारा लेखों का परीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी सरकारी विभाग, संस्था, उपक्रम इत्यादि द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय सक्षम स्तर से स्वीकृत बजट प्राविधानों के अन्तर्गत निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमों का पालन करते हुए किया जा रहा है। आडिट द्वारा यह भी देखा जाता है कि व्यय की स्वीकृति प्राधिकार सम्पन्न अधिकारी ने प्रदान की हो और वित्तीय औचित्य के मानकों की अवहेलना न हुई हो। सरकारी प्राप्तियों, आकस्मिकता निधि से आहरणों एवं लोक लेखा में जमा तथा उससे भुगतान के मामलों में भी इसी प्रकार आडिट के माध्यम से यह पुष्टि की जाती है कि नियमों एवं शासकीय निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। आडिट प्रतिवेदन में लेखांकन में पाई गई कमियों और वित्तीय व्यवहारों में पाई गई अनियमितताओं आदि को उजागर किया जाता है।

सामान्य रूप से आडिट का वर्गीकरण निम्नवत् किया जा सकता है:—

क. वित्तीय आडिट

'वित्तीय आडिट' में लेखे इस दृष्टिकोण से परीक्षित किए जाते हैं कि यह पुष्टि हो सके कि लेखों को निर्धारित प्रारूपों पर लेखांकन के सिद्धान्तों का पालन करते हुए पूर्णता तथा शुद्धता के साथ तैयार किया गया है।

ख. अनुपालन आडिट

'अनुपालन आडिट' यह सुनिश्चित करता है कि व्यय एवं प्राप्तियों तथा आस्तियों एवं देयताओं से सम्बन्धित वित्तीय व्यवहार भारत के संविधान एवं प्रभावी कानूनों, नियमों,

विनियमों एवं शासनादेश तथा सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किए गए हैं अथवा नहीं।

ग. निष्पादन आडिट या परफार्मेन्स आडिट

'निष्पादन आडिट' या परफार्मेन्स आडिट में आंकलन किया जाता है कि कार्यों को मितव्ययिता (Economy) के साथ समय–सीमा के अन्तर्गत निर्धारित लागत में गुणवत्ता एवं दक्षता (Efficiency) पूर्वक किया गया है। कार्यों को मितव्ययिता एवं दक्षता पूर्वक कराने के उपरान्त भी उद्देश्यों की पूर्ति तभी होगी जब कार्य का वांछित लाभ लक्षित वर्ग को मिल सके। अतः निष्पादन आडिट में लक्षित वर्ग पर कृत कार्यों के प्रभाव (Effectiveness) की भी समीक्षा की जाती है।

2. सोशल आडिट

उक्त सभी आडिट के बावजूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम की धारा–17 में सोशल आडिट की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। आखिर ऐसा क्यों ? इसे समझने के लिए हमे 'सोशल आडिट' की अवधारणा, इसकी आवश्यकता इत्यादि को समझना होगा।

क. सोशल आडिट की अवधारणा

अंग्रेजी में 'आडिट' शब्द रोमन ओडियर (AUDIRE) से निकला है जिसका अर्थ है–सुनना। इसी प्रकार लेखा–परीक्षा में 'परीक्षा' शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ है परि + इक्षण, अर्थात् चारों ओर से देख कर जॉच–परख लेना। इस प्रकार, सोशल आडिट में समाज या उसके प्रतिनिधियों द्वारा योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, उससे मिलने वाले अभीष्ट एवं वास्तविक लाभों इत्यादि के सम्बन्ध में वस्तुपरक समीक्षात्मक टिप्पणियां अंकित की जाती हैं। सोशल आडिट एक लोकतांत्रिक, सबको साथ लेकर चलने की सफल, सामूहिक और सतत प्रक्रिया है, इससे विकास कार्यों में गतिशीलता आती है, जनभागीदारी बढ़ती है और साथ ही भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में भी सफलता मिलती है।

सोशल आडिट में समाज द्वारा किसी विशेष योजना अथवा कार्यक्रम से संबंधित सभी लेखों एवं दस्तावेजों की जांच के साथ ही कार्यों का भौतिक सत्यापन, उनकी उपयोगिता एवं गुणवत्ता तथा कार्यों का लाभार्थियों के जीवन स्तर पर प्रभाव की जांच समाज की सहभागिता और निगरानी में की जाती है। वित्तीय लेखा परीक्षा में धन के नियमानुसार उपयोग का निरीक्षण अभिलेखों के आधार पर होता है, जब कि सोशल आडिट में धन के सही उपयोग के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता व लाभार्थियों के जीवन स्तर पर धन के खर्च का प्रभाव, भौतिक सत्यापन एवं व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अभिलेखों के साथ ही देखा–परखा जाता है। इस प्रकार सोशल आडिट को सामान्य लेखा परीक्षा के आगे की कड़ी कहा जा सकता है।

ख. सोशल आडिट का प्राविधान

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 की धारा– 17 में सोशल आडिट की व्यवस्था की गई है। तदुपरान्त 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजागार गारण्टी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011' भारत सरकार द्वारा 30 जून, 2011 को प्रख्यापित की गई है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, इस नियमावली में सोशल आडिट से सम्बन्धित विस्तृत प्राविधानों एवं नियमों को समाहित किया गया है। इस नियमावली में सोशल आडिट के लिए स्वतन्त्र सोशल आडिट संगठन की स्थापना, सोशल आडिट की पूर्व अपेक्षाएँ, सोशल आडिट की प्रकिया एवं सोशल आडिट के सम्बन्ध में कतिपय व्यक्तियों की वाध्यताओं इत्यादि के बारे में स्पष्ट व्यवस्थाएं दी गई हैं।

3. कार्यशाला का आयोजन

वर्तमान में सोशल आडिट के बढ़ते हुए महत्व को दृष्टिगत रखते हुए ही उत्तर प्रदेश में **''सोशल आडिट विषयक राज्य स्तरीय संचेतना कार्यशाला''** का आयोजन दिनांक 09 फरवरी, 2013 को दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के प्रेक्षाग्रह में किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सोशल

आडिट प्रकिया से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स यथा– प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला सोशल आडिट समन्वयक तथा ग्राम प्रधानों को सोशल आडिट योजना से सम्बन्धित सभी पहलुओं एवं जानकारियों से संचेतित करना रहा है। साथ ही, चूँकि सोशल आडिट एक नई विधा है, इसको लेकर लोक सेवकों व पंचायत प्रतिनिधियों में अभी कई तरह की भ्रान्तियॉ व उलझने हैं, जिन्हें दूर किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि सोशल आडिट का विचार वास्तविक रूप ले सके। आशा है, कार्यशाला में हुए विचार–विमर्श सोशल आडिट की अवधारणा को समझने, इसके महत्व एवं कार्य प्रक्रिया को समझने एवं विविध भ्रान्तियों के निस्तारण में सहायक सिद्ध हुए होंगे।

2

सोशल आडिट विषयक राज्य स्तरीय संचेतना कार्यशाला

दिनांकः 09 फरवरी, 2013

<u>कार्यक्रम–विवरण</u>

समयावधि	कार्यक्रम
10:00–11:00	पंजीकरण
प्रथम सत्र **स्वागत, शुभारम्भ एवं सम्बोधन**	
11:00–12:15	• मुख्य अतिथि (मा0 मंत्री जी),विशिष्ट अतिथि एवं रिसोर्स परसन का स्वागत। • निदेशक, सोशल आडिट, उ0प्र0 द्वारा अतिथियों का स्वागत, कार्यशाला की विषय वस्तु तथा प्रतिभागियों के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी। • सोशल आडिट तथा महात्मा गांधी नरेगा पर संस्थान द्वारा तैयार किये गये प्रशिक्षण साहित्य (पुस्तिका) का मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के द्वारा विमोचन। • महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ का सम्बोधन। • विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा ''सोशल आडिट'' के सम्बन्ध में शासन की अपेक्षाएं'' विषय पर सम्बोधन। • कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0, का सम्बोधन। • मुख्य अतिथि मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का उद्‌बोधन। • अपर निदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, द्वारा धन्यवाद ज्ञापन।
12:15–12:30	टी–ब्रेक

द्वितीय सत्र **तकनीकी परिचर्चा**		
समय	विषय	संसाधन विशेषज्ञ / वार्ताकार
12:30–13:30	सोशल आडिट की अवधारणा, आवश्यकता एवं प्रक्रिया विषय पर परिचर्चा।	डॉ0 ओ0 पी0 पाण्डेय, केन्द्र निदेशक
13:30–14:15	लन्च–ब्रेक	
14:15–15:00	सोशल आडिट हेतु राज्य स्तर पर स्थापित संस्थागत ढांचा एवं विभिन्न संस्थाओं / व्यक्तियों के दायित्व	श्री शंकर सिंह, निदेशक, सोशल आडिट निदेशालय
15:00–16:00	सोशल आडिट एवं अन्य लेखा–परीक्षा विधाओं के बीच अन्तर तथा भ्रान्तियों का समाधान	श्री कृष्ण गोपाल, वित्त विशेषज्ञ, सोशल आडिट निदेशालय
16:00–16:15	टी–ब्रेक	
16:15–17:00	भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा सोशल आडिट हेतु जारी किए गए दिशा–निर्देश / मार्ग निर्देश की संक्षिप्त जानकारी तथा प्रतिभागियों के साथ विचार–विमर्श एवं सुझाव	**पैनल वार्ता** ➢ श्री राजेश सिन्हा, कन्सलटेन्ट, भारत सरकार ➢ श्री राजवर्धन, सोशल आडिट विशेषज्ञ ➢ श्री कृष्ण गोपाल, वित्त विशेषज्ञ ➢ डॉ0 ओ0 पी0 पाण्डेय केन्द्र निदेशक
17:00–17:30	समापन	श्री शंकर सिंह, निदेशक सोशल आडिट निदेशालय

3

सोशल आडिट विषयक राज्य स्तरीय संचेतना कार्यशाला
दिनांकः 09 फरवरी, 2013

कार्यशाला का कार्यवृत्त

1. प्रथम सत्र– स्वागत, शुभारम्भ एवं सम्बोधन

1.0 उद्घाटन

दिनांक 09 फरवरी 2013 को कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन की अध्यक्षता में सोशल आडिट निदेशालय (ग्राम्य विभाग विभाग) उ0प्र0 तथा जनसहभागिता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही केन्द्र, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में सोशल आडिट विषयक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप'' माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 सरकार के कर–कमलों से सम्पन्न हुआ।

1.2 अतिथियों का स्वागत

श्री शंकर सिंह, निदेशक, सोशल आडिट ने इस अवसर पर श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप'' माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, श्री आलोक रंजन, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0, श्री एन0एस0 रवि, महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ, उ0प्र0, श्री राकेश ओझा, विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारियों, जिला विकास अधिकारियों, ग्राम प्रधानों एवं जिला समन्वयकों का स्वागत करते हुए सोशल आडिट के क्रियान्वयन में

उनके सहयोग की अपेक्षा की। निदेशक ने एस.आई.आर.डी. के अपर निदेशक, डा0 एम0एल0 जोशी, संयुक्त निदेशक डा0 पाण्डेय एवं अन्य सभी फैकल्टी के सदस्यों तथा कर्मचारियों, सोशल आडिट निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया जिनके सहयोग से कार्यशाला सफलतापूर्वक संचालित हो पा रही है। निदेशक ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया तथा अनुरोध किया कि इस कार्यशाला में हुए विचार–विमर्श को वे जनपद स्तर पर सभी ब्लाकों को बताएंगे जिससे सोशल आडिट के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो।

1.3 कार्यशाला के प्रतिभागीगणः

कार्यशाला में प्रदेश के सभी जनपदो के मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला सोशल आडिट समन्वयक तथा प्रत्येक जनपद से एक–एक ग्राम प्रधान के द्वारा भाग लिया गया। कार्यशाला में 300 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसके अलावा राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के महानिदेशक श्री एन0एस0 रवि, विशेष सचिव ग्राम्य विकास उ0प्र0 श्री राकेश ओझा, निदेशक सोशल आडिट उ0प्र0 श्री शंकर सिंह, भारत सरकार के ग्राम्य विकास मंत्रालय के कन्सल्टेंट सोशल आडिट श्री राजेश सिन्हा, संस्थान के अपर निदेशक, सभी संयुक्त निदेशकों, उप निदेशकों, सहायक निदेशकों एवं संकाय सदस्यों के द्वारा परिचर्चा में भाग लिया गया। कार्यशाला में सोशल आडिट के विशेषज्ञों के द्वारा सोशल आडिट के विभिन्न आयामों व प्रक्रिया आदि पर प्रस्तुतीकरण किया गया और जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं ग्राम प्रधानों के द्वारा परिचर्चा में भाग लिया गया।

1.4 माननीय राज्यमंत्री जी का उद्बोधनः

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ग्राम्य विकास द्वारा व्यक्त किया गया कि माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रो के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध एवं क्रियाशील है तथा इस कार्य में संसाधनों की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होने व्यक्त

किया कि विकास की प्रक्रिया में जितना योगदान व जिम्मेदारी लोकसेवकों की है उतना ही योगदान व जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों की भी है तथा प्रदेश सरकार विकास के इस अभियान में सभी को साथ लेकर चलना चाहती है। लोक सेवकों एवं जन प्रतिनिधियों का यह दायित्व है कि विकास कार्यो के चयन में गुणवत्ता रहे, पारदर्शिता रहे, संसाधनों का सदुपयोग हो, काम समय से पूरा हो तथा संसाधनों का दुरूपयोग करने वालों के खिलाफ समय से प्रभावी कार्यवाही भी हो। सोशल आडिट इस काम में सहायक होगा। माननीय राज्य मंत्री जी द्वारा राज्य ग्राम्य विकास संस्थान और सोशल ऑडिट निदेशालय की कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए सराहना की गई और इसी प्रकार की कार्यशालाएँ व प्रशिक्षण समय समय पर आयोजित करने की अपेक्षा भी की गई।

1.5 संदर्भ साहित्य पुस्तिकाओं का विमोचन

इससे पूर्व माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ग्राम्य विकास द्वारा सेण्टर फॉर पीपुल्स पार्टिसिपेशन, ट्रॉसपरेन्सी एण्ड एकाउण्टबिलिटी द्वारा सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0 के सहयोग एवं परामर्श से प्रकाशित दो पुस्तकों–''**सोशल ऑडिट–संदर्भ साहित्य**'' एवं ''**महात्मा गांधी नरेगा–संदर्भ साहित्य**'' का विमोचन किया गया।

1.6 कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन से मार्गदर्शनः

कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश श्री आलोक रंजन द्वारा अपने संबोधन में व्यक्त किया गया कि गरीबी उन्मूलन व रोजगार सृजन में ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं और कार्यशालाओं का बडा महत्व है तथा महात्मा गाँधी नरेगा जैसे रोजगार सृजन कार्यक्रमों के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार व अर्द्धबेरोजगार व्यक्तियों का रोजगार के तलाश में अन्य क्षेत्रो में पलायन की घटनाओं में कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रो में लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है, लेकिन विकास कार्यो एवं योजनाओं में गुणवत्ता और समयशीलता सुनिश्चित करने हेतु यह जरूरी है कि विकास की प्रक्रिया से जुडे लोकसेवकों व पंचायत प्रतिनिधियों का निरन्तर क्षमता विकास व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। इस हेतु उन्होने राज्य ग्राम्य

विकास संस्थान से अपेक्षा की कि वे ग्राम्य विकास से जुडे विभिन्न स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण मॉडयूल तैयार कर शासन को उपलब्ध कराएँ, ताकि प्रशिक्षणों के आयोजन पर विचार किया जा सके।

1.5 महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0 द्वारा सोशल आडिट के महत्व पर चर्चाः

महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान श्री एन0एस0 रवि द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली ' जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा ' अवधारणा को साकार करने हेतु विकास कार्यो एवं प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता (Disclosure and Transparency) का अहम योगदान है तथा इससे प्रजातांत्रिक जवाबदेही को बल मिलता है। उन्होने यह भी व्यक्त किया कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में ही समाज के सभी वर्गो, खासतौर से महिलाओं और कमजोर वर्गो के हित सुरक्षित रहते है। सोशल ऑडिट के फलस्वरूप जनसाधारण को जहॉ एक ओर विकास प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलता है वही दूसरी ओर इसके फलस्वरूप सही समय पर सुधारात्मक कदम भी उठाये जा सकते है।

1.6 विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा सोशल आडिट के प्रति शासन की प्रतिबद्धता की पुष्टिः

विशेष सचिव, ग्राम्य विकास श्री राकेश ओझा द्वारा अपने संबोधन में सोशल ऑडिट की व्यवस्था के प्रति शासन की प्रतिबद्धता एवं संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला गया। उन्होने गांव के विकास एवं स्वास्थ्य सुविधाओं तथा गांव में लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने का जिक्र किया ताकि गांवों का सम्पूर्ण विकास हो। उन्होने कहा कि ग्राम प्रधान को समस्त शक्तियां दी गई हैं, कि वह गांव का विकास प्राथमिकता पर करें।

1.7 आभार ज्ञापन

अन्त में अपर निदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान डॉ0 एल0एम0 जोशी द्वारा माननीय राज्य मंत्री ग्राम्य विकास, कृषि उत्पादन आयुक्त, विशेष सचिव ग्राम्य विकास का

आभार व्यक्त करते हुए यह आश्वस्त किया गया कि सोशल ऑडिट के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नियमों–निर्देशो को तैयार करने व सोशल ऑडिट कमेटियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में जो भी जिम्मेदारी राज्य ग्राम्य विकास संस्थान एवं उसके घटक क्षेत्रीय व जिला ग्राम्य विकास संस्थानों को दी जाएगी उसका पूरी तत्परता से निष्पादन किया जाएगा।

2. द्वितीय सत्र – तकनीकी परिचर्चा

2.1 निदेशक द्वारा परिचर्चा का प्रारम्भ

द्वितीय सत्र का शुभारम्भ करते हुए श्री शंकर सिंह, निदेशक, सोशल आडिट, उ0प्र0 ने सोशल आडिट की दिशा और प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रकाश डाला। उन्होंने अवगत कराया कि सोशल आडिट के महत्व को देखते हुए इसे प्रभावी ढंग से लागू करने एवं सोशल आडिट की दिशा में आने वाली कठिनाइयों के निवारणार्थ तथा मार्गदर्शन देने हेतु सोशल आडिट निदेशालय की स्थापना की गई है। भारत सरकार द्वारा जून, 2011 में महात्मा गांधी नरेगा स्कीमों की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 प्राख्यापित की गई है जिसे ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा सोशल आडिट की व्यवस्था के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 04.10.2012 जारी किया गया है। उक्त नियमावली एवं शासनादेश कार्यशाला में वितरित किए गए संदर्भ साहित्यों में छपा हुआ है, जिसे प्रतिभागियों द्वारा ध्यानपूर्वक पढ़ जाना चाहिए। सोशल आडिट के सम्बन्ध में यह विशेष व्यवस्था की गई है कि जिस ग्राम पंचायत का सोशल आडिट किया जाएगा, पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीम के सदस्य उससे भिन्न गॉव के होंगे, ताकि वे निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। सोशल आडिट टीम के सदस्य उसी न्याय पंचायत के ही किसी अन्य गॉव के होंगे ताकि उनके द्वारा जिस गॉव पंचायत का सोशल आडिट किया जाना है उसकी भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक पहलू से वे भली भांति परिचित हों।

2.2 ग्राम प्रधानों एवं जिला सोशल आडिट समन्वयकों के विचार

निदेशक के उद्‌बोधन के उपरान्त विभिन्न ग्राम प्रधानों एवं समन्वयकों ने अपने विचार व्यक्त किए जिसका सारांश निम्नवत है:–

क. सोशल आडिट का औचित्य

सोशल आडिट लागू कराए जाने के सम्बन्ध में आशंका व्यक्त की कि क्या महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम में इतनी गड़बड़ियॉ बढ़ गई हैं कि इस प्रकार के आडिट की आवश्यकता पड़ गई? विचार व्यक्त किया गया कि महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों ने जिम्मेदारी के साथ काम किया है और गॉव में विपक्ष होने के कारण कार्यक्रम क्रियान्वयन में होने वाली गड़बड़ियॉ दिन प्रति दिन शिकायतों के रूप में प्रकाश में आती रहती हैं। योजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत स्तर पर गड़बड़ियां या बेइमानी अन्य कार्यक्रमों की तुलना में नगण्य है, योजनाओं का क्रियान्वयन निष्ठापूर्वक किया गया है।

ख. स्टेक होल्डर्स के बीच संवादहीनता

महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम को निष्ठापूर्वक किए जाने के उपरान्त भी कतिपय कमियॉ दृष्टिगोचर होने का मुख्य कारण कार्यक्रम से जुड़े उच्चाधिकारियों, जैसे– मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, खण्ड विकास अधिकारी इत्यादि एवं ग्राम प्रधान के बीच संवादहीनता का होना है। अनेक ग्राम प्रधानों विशेषकर महिला और कम शिक्षित ग्राम प्रधानों को योजना के क्रियान्वयन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कम जानकारी है जिससे उनके अच्छा काम करने पर भी कमी निकाली जाती है। विचार व्यक्त किया कि इस कार्यशाला के माध्यम से संवादहीनता की स्थिति में कुछ कमी हुई है। भविष्य में इस प्रकार की कार्यशालाएं राज्य स्तर के साथ जिला स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर भी आयोजित होनी चाहिए, जिसमें अधिकारी एवं ग्राम प्रधान दोनों ही प्रतिभाग करें, ताकि शासन की नीतियों, प्रक्रियाओं एवं मंशा को सही तरीके से समझा जा सके।

ग. ग्राम पंचायत की वेबसाइट

एक ग्राम प्रधान ने बताया कि पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने ग्राम पंचायत स्तरीय योजनाओं का विवरण ग्राम पंचायत की वेबसाइट पर दे दिया है। ग्राम पंचायत की वेबसाइट इस प्रकार विकसित की गई है कि उस पर न केवल महात्मा गांधी नरेगा, बल्कि अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण, जो जन सामान्य द्वारा जानकारी हेतु वांछित हो सकता है, उपलब्ध है। यदि प्रत्येक ग्राम पंचायत का अपना वेबसाइट हो तो पारदर्शिता आसान हो सकती है।

घ. ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जाना

एक ग्राम प्रधान ने चिन्ता व्यक्त की कि उन्हें सोशल आडिट के बारे में तो बताया जा रहा है, किन्तु महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों का प्रबन्धन कैसे हो, इस बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है उन्हें यह तो पता है कि महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत कार्य कराते समय कार्य स्थल पर फर्स्ट एड बाक्स तो रखा जाएगा, पर इसके लिए धनराशि कहां से प्राप्त होगी, ऐसी ही अनेक भ्रांतियां हैं। अतः सोशल आडिट की जानकारी देने के साथ ही उन्हें मनरेगा कार्यों को कराने के सम्बन्ध में भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

ड. मजदूरी एवं मटेरियल का अनुपात

एक ग्राम प्रधान का कहना था कि मनरेगा में मजदूरी एवं मटेरियल के बीच 60:40 जो अनिवार्य अनुपात रखा गया है वह शहर के निकट के गॉवों में सुनिश्चित करना बहुत कठिन है। सुझाव प्राप्त हुआ कि अन्य योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित कर इस कठिनाई का निवारण किया जा सकता है, जैसे– आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत मटेरियल के लिए धनराशि प्राप्त हो जाए और मजदूरी की धनराशि मनरेगा कार्यक्रम से किया जा सकता है।

च. अतिक्रमण के कारण काम में अवरोध

अवगत कराया गया कि गॉव की सार्वजनिक सम्पत्तियों, विशेषकर– तालाबों का अतिक्रमण हो गया है जिससे महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत काम कराने में कठिनाई होती है। प्रशासन अतिक्रमण हटाने में सहयोग प्रदान करें, ताकि मनरेगा के कार्य आसानी से कराए जा सकें।

छ. शिकायतों के लिए समय–सीमा का निर्धारण

सुझाव दिया गया कि सोशल आडिट सम्पन्न कराने के एक वर्ष बाद जो शिकायत प्राप्त हों उन्हें प्रथम दृष्टया ही स्वीकार योग्य न माना जाए। वर्तमान में सारी नाप–जोख एवं जांच–पड़ताल के उपरान्त सोशल आडिट होने के वर्षों बाद भी शिकायत प्राप्त होने पर ग्राम प्रधानों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाती है, जो न्यायोचित नहीं है।

ज. महालेखाकार द्वारा मनरेगा के आडिट की व्यवस्था

यह बिन्दु उठाया गया कि पहले से ही महालेखाकार द्वारा मनरेगा के आडिट की व्यवस्था है। सुनने में आता है कि मनरेगा कार्यों का आडिट, चार्टर्ड एकाण्टेन्ट द्वारा तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा भी किया जाना है। इस प्रकार मनरेगा कार्यों का कई संस्थाओं के द्वारा आडिट किए जाने से कार्य में सुधार होने के बजाए गतिरोध उत्पन्न होता है और प्रधान काम कराने के प्रति भयवश हतोत्साहित होते हैं।

झ. अन्य योजनाओं का भी सोशल आडिट कराया जाना

सुझाव प्राप्त हुआ कि मनरेगा की लेखा प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना चाहिए ताकि आम आदमी, जिसे लेखा प्रणाली की विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है, भी बिना भय के काम कर सके और लेखों को रख सके। यह भी सुझाव प्राप्त हुआ कि मनरेगा के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर चलाई जा रही अन्य योजनाओं का भी सोशल आडिट कराया जाना चाहिए।

2.3 भारत सरकार के प्रतिनिधि का उद्‌बोधन

ग्राम प्रधानों को सुनने के उपरान्त श्री राजेश सिन्हा, सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा, भारत सरकार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्यशाला हितधारकों के बीच संवादहीनता में कमी लाने की दिशा में एक सार्थक कदम है। उन्होंने प्रकाश डाला कि सोशल आडिट का उद्‌देश्य मात्र भ्रष्टाचार को रोकना या वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करना ही नहीं है, बल्कि सोशल आडिट द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर भी प्रकाश डाला जाएगा, सोशल आडिट से सहभागिता सुनिश्चित हो सकेगी और अच्छे सुझाव भी प्राप्त होंगे।

श्री सिन्हा ने कहा कि सोशल आडिट का प्रावधान महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के प्रारम्भ से ही रहा है और महात्मा गांधी नरेगा एक्ट, 2005 की धारा–17 में सोशल आडिट का प्रावधान है। अतः यह कहना उपयुक्त नहीं है कि मनरेगा में गड़बड़ियां पाए जाने के बाद सोशल आडिट की व्यवस्था की गई। 2005 में की गई व्यवस्था को विस्तार रूप से परिभाषित करने के उद्‌देश्य से ही जून, 2011 में मनरेगा स्कीमों की आडिट नियमावली प्राख्यापित की गई। सोशल आडिट की सफलता के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेन्सियों और सोशल आडिट यूनिट के बीच सामन्जस्य होना कार्यक्रम और सोशल आडिट दोनों के लिए ही आवश्यक है। सोशल आडिट के समाप्त होने पर एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रतिवर्ष सोशल आडिट के मुख्य बिन्दुओं का सफल संक्षिप्त विवरण विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। श्री सिन्हा ने कहा कि यदि इस कार्यशाला में योजना के वास्तविक लाभार्थी मजदूरों में से भी कुछ को आमंत्रित किया गया होता तो उनकी बात भी सुने जाने का अवसर प्राप्त होता।

2.4 वित्त विशेषज्ञ द्वारा ग्राम प्रधानों की शंकाओं का समाधान

ग्राम प्रधानों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा अनेक प्रकार के आडिट से उत्पन्न समस्याओं के सम्बन्ध में श्री कृष्ण गोपाल, वित्त विशेषज्ञ, सोशल आडिट निदेशालय द्वारा अवगत

कराया गया कि ग्राम प्रधानों के मन में सोशल आडिट के सम्बन्ध में कतिपय गलतफहमी है जिसका निराकरण किया जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि महालेखाकार द्वारा केवल लेखों का वित्तीय लेखा–परीक्षण सामान्यतया साल में एक बार किया जाता है। महालेखाकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह लेखों का आडिट करें। चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा भी जहॉ लेखा परीक्षा की जाएगी, वह भी केवल अभिलेखों के आधार पर की जाएगी। स्थानीय लेखा परीक्षा द्वारा आडिट कराए जाने की व्यवस्था नहीं है। केवल सोशल आडिट के दौरान अभिलेखों के साथ–साथ शतप्रतिशत कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं नाप–जोख तथा लाभार्थियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था है। सोशल आडिट के दौरान वित्तीय प्रबन्धन के साथ ही साथ वास्तव में उन कार्यों की जांच–परख इस उद्देश्य से की जाएगी कि योजना का लाभ टार्गेट ग्रुप को मिल रहा है अथवा नहीं, एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन में यदि कहीं कमियां रह गई हों तो उनका निराकरण किया जा सके। सोशल आडिट के दौरान यदि यह पाया गया कि जानबूझकर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं तो उन्हें भी प्रकाश में लाया जाएगा।

2.5 डाक्यूमेनट्री फिल्म का प्रदर्शन

कार्यक्रम के अन्तर्गत सोशल आडिट की अवधारणा, आवश्यकता एवं प्रक्रियागत आयाम पर डॉ0 ओ0 पी0 पाण्डेय, केन्द्र निदेशक द्वारा प्रकाश डाला गया, साथ ही सोशल आडिट विषय पर संस्थान द्वारा तैयार की गयी एक डाकूमेन्ट्री फिल्म भी प्रतिभागियों को दिखाई गई। सोशल आडिट का मुख्य उद्देश्य, सोशल आडिट की अवधारणा, स्वरूप एवं प्रक्रियागत आयाम को ग्राम सभा के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाना, जनता एवं सरकारी तंत्र के मध्य तथा योजनाओं के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों एवं असहजता को दूर करना, तथा योजना के गुणवत्तापरक सफल संचालन के लिए जनसहभागिता एवं पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना तथा कार्यदायी संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

2.6 कार्यशाला का समापन

कार्यशाला समाप्त करते हुए श्री शंकर सिंह, निदेशक, सोशल आडिट ने अवगत कराया कि नवीनतम प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों के माध्यम से सोशल आडिट अभी प्रारम्भ नहीं हो सका है। टीमों के गठन के सम्बन्ध में 04 अक्टूबर, 2012 को जारी शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। टीमों का गठन होते ही उनका प्रशिक्षण आयोजित होगा और उसके बाद टीम को सोशल आडिट का दायित्व सौपा जाएगा। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारियों से आग्रह किया कि वे सोशल आडिट टीमों में प्रतिष्ठित एवं निष्पक्ष व्यक्तियों को शामिल करें ताकि सोशल आडिट ईमानदारी से सम्पन्न हो सके। उन्होंने बताया कि सोशल आडिट सर्वप्रथम राजस्थान से शुरू हुआ और दूसरा राज्य आन्ध्र प्रदेश है, जिसने सोशल आडिट लागू किया। आज आन्ध्र प्रदेश सोशल आडिट की दिशा में अच्छा कार्य कर रहा है। सोशल आडिट के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश में अच्छे कार्यों की प्रशंसा हुई है और साथ ही धनराशि के दुरूपयोग पर रोक लगी है। निदेशक ने अवगत कराया कि यह सम्भव है कि भारत सरकार द्वारा सोशल आडिट के अन्तर्गत भविष्य में ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित अन्य योजनाओं को भी आच्छादित किया जाए।

कार्यशाला धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सोशल आडिट विषयक राज्य स्तरीय संचेतना कार्यशाला

दिनांक 09 फरवरी, 2013

प्रतिभागी अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/कु0	पदनाम	पता	मोबाइल नं0
1	श्री आलोक रंजन	कृषि उत्पादन आयुक्त	उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	
2	श्री एन0एस0 रवि	महानिदेशक	दी0द0उ0 रा0ग्रा0वि0सं0, उ0प्र0, लखनऊ।	8765957400
3	श्री राकेश कुमार ओझा	विशेष सचिव	ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	
4	श्री अवधेश कुमार पाण्डेय	उप सचिव	ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	
5	श्री शंकर सिंह	निदेशक	सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।	9453535353
6	श्री कृष्ण गोपाल	विशेषज्ञ सलाहकार	–उपरोक्त–	9415467695
7	श्री राजबर्धन	विशेषज्ञ सलाहकार	–उपरोक्त–	9415185747
8	डॉ0 सतबीर सिंह	संयुक्त निदेशक	मूल्यांकन प्रभाग, नियोजन, लखनऊ	9450359647
9	श्री उमेश मणि त्रिपाठी	उपायुक्त (मनरेगा)	ग्राम्य विकास निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।	
10	श्री बी0पी0 सिंह	अनु सचिव	ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	9454412222
11	डा0 एल0एम0 जोशी	अपर निदेशक	दी0द0उ0 रा0ग्रा0वि0सं0, उ0प्र0, लखनऊ।	8765957401
12	डा0 वरदानी	संयुक्त निदेशक	–उपरोक्त–	8765957402
13	डा0 डी0सी0 उपाध्याय	संयुक्त निदेशक	–उपरोक्त–	8765957403
14	डा0 ओ0 पी0 पाण्डेय	संयुक्त निदेशक	–उपरोक्त–	8765957404
15	डा0 प्रमोद चन्द्र	उप निदेशक	–उपरोक्त–	8765957406
16	श्री उमेश चन्द्र जोशी	उप निदेशक	–उपरोक्त–	8765957407
17	श्री बी0डी0 चौधरी	उप निदेशक	–उपरोक्त–	8765957408
18	डा0 एस0के0 सिंह	सहायक निदेशक	–उपरोक्त–	8765957409
19	श्री अशोक कुमार	सहायक निदेशक	–उपरोक्त–	8765957410
20	डा0 योगेन्द्र कुमार	सहायक निदेशक	–उपरोक्त–	8765957411

21	श्री आलोक कुमार	शोध अधिकारी	–उपरोक्त–	8765957412
22	डा0 राज किशोर	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी	–उपरोक्त–	9415764031
23	श्री रतनेश सिंह	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी	–उपरोक्त–	9451918025
24	सुश्री नेहा प्रकाश	संकाय सदस्य	–उपरोक्त–	8765957467
25	श्री नवीन चन्द्र अवस्थी	संकाय सदस्य	–उपरोक्त–	8765957415
26	श्री बरून कुमार आर्य	संकाय सदस्य	–उपरोक्त–	8765957416
27	श्री हेमेन्द्र शर्मा	संकाय सदस्य	–उपरोक्त–	8765957414
28	श्री जी0के0 तिवारी	संकाय सदस्य	–उपरोक्त–	8765957413
29	डा0 विनीता सिंह	शोध सहायक	–उपरोक्त–	8765957417
30	श्रीमती सुमन प्रियदर्शी	शोध सहायक	–उपरोक्त–	8765957418
31	श्री राकेश सक्सेना	शोध सहायक	–उपरोक्त–	8765957419
32	श्री राम धीरज वैश्य	शोध सहायक	–उपरोक्त–	8765957420
33	श्री आर0के0श्रीवास्तव	वरिष्ठ प्रशिक्षक	–उपरोक्त–	8765957421
34	श्री अखिलेश मिश्रा	वरिष्ठ प्रशिक्षक	–उपरोक्त–	8765957423
35	श्री शिव गणेश साहू	वरिष्ठ प्रशिक्षक	–उपरोक्त–	8765957422
36	इं0 वी0के0 सिंह	वरिष्ठ प्रशिक्षक	–उपरोक्त–	9565501655
37	श्री शिव भगवान	अनुदेशक	–उपरोक्त–	8858416241
38	श्रीमती सुमन पाण्डेय	अनुदेशक	–उपरोक्त–	9454195581
39	श्रीमती मुद्रिका बाजपेयी	अनुदेशक	–उपरोक्त–	9415462174
40	डा0 उदय भान सिंह	आचार्य	क्षे0ग्रा0वि0सं0, बी0के0टी0, लखनऊ।	9415910611
41	जी0 पी0 त्रिपाठी	मुख्य विकास अधि0	गाजीपुर	9454417104
42	अनुराग पटेल	मुख्य विकास अधि0	कानपुर देहात	9454465006
43	एम.एस. कमल	मुख्य विकास अधि0	सहारनपुर	9997395111
44	राजकुमार श्रीवास्तव	मुख्य विकास अधि0	देवरिया	9454464859
45	सुरेन्द्र विक्रम	मुख्य विकास अधि0	लखीमपुर खीरी	9454416519
46	शरद कुमार सिंह	मुख्य विकास अधि0	बलिया	9956075872
47	आनन्द कुमार द्विवेदी	मुख्य विकास अधि0	हरदोई	9454465359
48	के0के0 चौधरी	मुख्य विकास अधिकारी	फतेहपुर	9415083126
49	एस.एस. आशुतोष्ज्ञ	मुख्य विकास अधिकारी	गोरखपुर	9454416251
50	महेश प्रताप सिंह	मुख्य विकास अधिकारी	चित्रकूट	9454464772

51	एस.एन. त्रिपाठी	मुख्य विकास अधिकारी	सिद्वार्थनगर	9451824000
52	डॉ0 अख्तर रियाज	मुख्य विकास अधिकारी	रायबरेली	9454465401
53	राम अरज मौर्य	मुख्य विकास अधिकारी	बस्ती	9454464714
54	सूर्य लाल सिंह	मुख्य विकास अधिकारी	बलरामपुर	9415139039
55	आलोक शेखर तिवारी	मुख्य विकास अधिकारी	रामपुर	9454465183
56	अशोक कुमार	मुख्य विकास अधिकारी	मऊ	9454411852
57	कृष्ण चन्द्र स्र्वणकार	मुख्य विकास अधिकारी	ललितपुर	9415351629
58	डॉ. एस.के. पाण्डेय	मुख्य विकास अधिकारी	मिर्जापुर	9454465106
59	रघुनाथ शरण	मुख्य विकास अधिकारी	औरैया	9451555764
60	एम0पी0 सिंह	मुख्य विकास अधिकारी	श्रावस्ती	9454464850
61	शिव कुमार मिश्र	मुख्य विकास अधिकारी	अमरोहा	9454465158
62	डॉ0 रूपेश कुमार	मुख्य विकास अधिकारी	आगरा	9454417655
63	राम नेवाज	मुख्य विकास अधिकारी	हमीरपुर	9411851687
64	वीरेन्द्र सिंह पटेल	मुख्य विकास अधिकारी	बरेली	9454464642
65	मुख्यतियार वर्मा	मुख्य विकास अधिकारी	जौनपुर	9415132416
66	एस.एम.ए. रिजवी	मुख्य विकास अधिकारी	सीतापुर	9454416552
67	राजेन्द्र कुमार	मुख्य विकास अधिकारी	सुल्तानपुर	9454416195
68	भरत लाल राय	मुख्य विकास अधिकारी	अम्बेडकरनगर	9454465295
69	महेन्द्र कुमार पी.सी.एस.	मुख्य विकास अधिकारी	फैजाबाद	9454413265
70	विजय कुमार सिंह	मुख्य विकास अधिकारी	पीलीभीत	05882–250036
71	एस.एन.तिवारी	मुख्य विकास अधिकारी	सन्तकबीरनगर	9454464731
72	बाल के0 त्रिपाठी	मुख्य विकास अधिकारी	चन्दौली	9454417070
73	सुरेन्द्र सिंह	मुख्य विकास अधिकारी	संत रविदास नगर, भदोही	9454465122
74	जनार्दन बरनवाल	मुख्य विकास अधिकारी	शाहजहॉपुर	9454415899
75	एच.एल. सूर्यवंशी	मुख्य विकास अधिकारी	मिर्जापुर	9411605398
76	श्री निवास मिश्र	जिला विकास अधिकारी	मेरठ	9454885466
77	हीरा लाल	जिला विकास अधिकारी	झॉसी	9454464939
78	रमेश चन्द्र पाण्डेय	जिला विकास अधिकारी	इलाहाबाद	9454464534
79	अवधेश बहादुर सिंह	जिला विकास अधिकारी	उन्नाव	9415036562
80	ए0 बी0 मिश्रा	जिला विकास अधिकारी	बुलन्दशहर	9454465054

81	एम0एस0 व्यास	जिला विकास अधिकारी	सिद्धार्थ नगर	9454464745
82	बी0बी0 सिंह	जिला विकास अधिकारी	मऊ	9452272374
83	जय प्रकाश पाण्डेय	जिला विकास अधिकारी	महोबा	9415368040
84	तेज प्रताप मिश्र	जिला विकास अधिकारी	जौनपुर	9415273064
85	पी0 पी0	जिला विकास अधिकारी	मुरादाबाद	9415215184
86	मुजाहिदुल अहसन	जिला विकास अधिकारी	रामपुर	9450563322
87	राम कुमार सिंह	जिला विकास अधिकारी	वाराणसी	9454733992
88	प्रदीप कुमार सोन	जिला विकास अधिकारी	बदांयू	9756786065
89	डॉ0 फरीद हैदर रिजवी	जिला विकास अधिकारी	बाराबंकी	9454465311
90	डी0पी0 मिश्र	जिला विकास अधिकारी	शाहजहांपुर	9415562647
91	ए0के0 सिंह	जिला विकास अधिकारी	गौतमबुद्धनगर	9899028112
92	शिव कुमार	जिला विकास अधिकारी	बलरामपुर	9454000444
93	अनिल कुमार पाण्डेय	जिला विकास अधिकारी	हरदोई	9415264014
94	प्रहलाद	जिला विकास अधिकारी	फर्रूखाबाद	9454464983
95	राधेश्याम	जिला विकास अधिकारी	एटा	9453318000
96	बलवन्त सिंह	जिला विकास अधिकारी	फैजाबाद	9454465329
97	विवेक त्रिपाठी	जिला विकास अधिकारी	महराजगंज	9415018865
98	प्रेमचन्द्र द्विवेदी	जिला विकास अधिकारी	इटावा	9454464972
99	ए.के. मिश्रा	जिला विकास अधिकारी	अलीगढ	9836180475
100	वीरेन्द्र कुमार यादव	जिला विकास अधिकारी	लखीमपुर	9454465383
101	डॉ0 श्याम कुमार सिंह	जिला विकास अधिकारी	बरेली	9454464644
102	मदन वर्मा	जिला विकास अधिकारी	हापुड़	8439011990
103	भगवती प्रसाद वर्मा	जिला विकास अधिकारी	औरैया	9454465034
104	शिव राज यादव	जिला विकास अधिकारी	चित्रकूट	9415482457
105	नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	जिला विकास अधिकारी	अम्बेडकरनगर	9454465297
106	सुरेश चन्द्रा	जिला विकास अधिकारी	आगरा	9412650831
107	एस.एन. शुक्ला	जिला विकास अधिकारी	कन्नौज	9454464993
108	आर0पी0 यादव	जिला विकास अधिकारी	चन्दौली	9415495617
109	हीरा सिंह	जिला विकास अधिकारी	गोण्डा	9454464833
110	हीरा लाल	जिला विकास अधिकारी	झांसी	

111	रमेश सिंह पाण्डेय	जिला विकास अधिकारी	इलाहाबाद	
112	पी0पी0 मिश्र	जिला विकास अधिकारी	हाथरस	9415219104
113	रामकिशुन	जिला विकास अधिकारी	बस्ती	9454464716
114	प्रमोद कुमार श्रीवास्तव	जिला विकास अधिकारी	बागपत	9454465045
115	मिथलेश	जिला विकास अधिकारी	फतेहपुर	9451221340
116	आर0 एन0 सिंह	परियोजना निदेशक	मिर्जापुर	9454465107
117	पी.सी जायसवाल	परियोजना निदेशक	सुल्तानपुर	9412114365
118	अनिल कुमार सिंह	परियोजना निदेशक	रायबरेली	9454465402
119	महेश चन्द्र यादव	परियोजना निदेशक	मैनपुरी	9412069426
120	अतुल मिश्र	परियोजना निदेशक	कानपुर नगर	9415441640
121	श्री कृष्ण त्रिपाठी	परियोजना निदेशक	अमेठी	9415634340
122	सत्येन्द्र नाथ चौधरी	परियोजना निदेशक	प्रतापगढ़	9415326746
123	ए.के. सिंह	परियोजना निदेशक	कन्नौज	9451024244
124	चित्रसेन सिंह	परियोजना निदेशक	हमीरपुर	9454464782
125	दिनेश कुमार	परियोजना निदेशक	गोण्डा	9454464832
126	डी0के0	परियोजना निदेशक	बहराइच	9415738430
127	विक्रम सिंह	परियोजना निदेशक	बिजनौर	9454465144
128	उदयराज यादव	परियोजना निदेशक	सीतापुर	9454465420
129	श्रीकृष्ण पाण्डेय	परियोजना निदेशक	जालौन	9454464949
130	सुरेश चन्द्र मिश्र	परियोजना निदेशक	ललितपुर	9454464961
131	डी0 सी0 त्रिपाठी	परियोजना निदेशक	कानपुर देहात	9415047146
132	अजितेन्द्र नारायण मिश्र	परियोजना निदेशक	बांदा	9415254385
133	उमेश कुमार त्यागी	परियोजना निदेशक	कासगंज	9412515712
134	सर्वेश चन्द्र यादव	परियोजना निदेशक	फिरोजाबाद	9454444693
135	डॉ0 ए0 के0 बाजपेयी	परियोजना निदेशक	मथुरा	9415129929
136	प्रदीप कुमार सिंह	परियोजना निदेशक	मुरादाबाद	9454465168
137	अरविन्द चन्द्र जैन	परियोजना निदेशक	सोनभद्र	9454465132
138	एस0 के0 सिंह	परियोजना निदेशक	लखनऊ	9454465462
139	अजीत पाण्डेय	सहा. परियोजना अधि0	गाजीपुर	9450485318
140	पी0 सी0 राम	खण्ड विकास अधि0	सरसौल कानपुर नगर	9897972225

141	देवीशरण त्यागी	खण्ड विकास अधिकारी	बुलन्दशहर	9759360060
142	दिनेश कुमार यादव	खण्ड विकास अधिकारी	गाजीपुर	9454465243
143	अनुज सिंह	जिला सो0आ0 समन्वयक	बहादरु इलाहाबाद	9452366124
144	रजनीश यादव	जिला सो0आ0 समन्वयक	बलरामपुर	9415512819
145	रजनीश कुमार	जिला सो0आ0 समन्वयक	कन्नौज	9889277234
146	चन्द्रिका प्रसाद	जिला सो0आ0 समन्वयक	जिला गोण्डा	9554788673
147	जयहिन्द यादव	जिला सो0आ0 समन्वयक	आज़मगढ़	9795420457
148	किरन कुमारी विश्वकर्मा	जिला सो0आ0 समन्वयक	सिद्धार्थनगर	9721106028
149	ई0 अरविन्द कुमार	जिला सो0आ0 समन्वयक	अलीगढ़	8057919085
150	अविनाश कुमार बाजपेयी	जिला सो0आ0 समन्वयक	उन्नाव	8756110888
151	राम प्रकाश	जिला सो0आ0 समन्वयक	बस्ती	7800351080
152	सुदर्शन देव	जिला सो0आ0 समन्वयक	एटा	9719025084
153	दिनेश चन्द्र वर्मा	जिला सो0आ0 समन्वयक	लखीमपुर खीरी	8858448816
154	दलवीर सिंह	जिला सो0आ0 समन्वयक	सम्भल	9720782049
155	त्योनिया यादव	जिला सो0आ0 समन्वयक	चन्दौली	9935994116
156	शकुन्तला	जिला सो0आ0 समन्वयक	मऊ	8765131438
157	विद्यावती सिंह	जिला सो0आ0 समन्वयक	औरैया	9458589271
158	प्रीती वर्मा	जिला सो0आ0 समन्वयक	शाहजहांपुर	9161720294
159	सरिता पाण्डेय	जिला सो0आ0 समन्वयक	सन्तकबीरनगर	9415850045
160	सुमन तिवारी	जिला सो0आ0 समन्वयक	अम्बेडकरनगर	9415145686
161	दीप्ति यादव	जिला सो0आ0 समन्वयक	बरेली	9639675666
162	मो0 जावेद अख्तर	जिला सो0आ0 समन्वयक	कौशाम्बी	9616455910
163	शादमा परवीन	जिला सो0आ0 समन्वयक	बाराबंकी	9454028042
164	विनोद कुमार वर्मा	जिला सो0आ0 समन्वयक	महराजगंज	8004160508
165	मंजू यादव	जिला सो0आ0 समन्वयक	मैनुपरी	9411439024
166	रूपाली यादव	जिला सो0आ0 समन्वयक	सीतापुर	9451258745
167	शशि मोहन श्रीवास्तव	जिला सो0आ0 समन्वयक	जौनपुर	9415895138
168	कु0 राखी माथुर	जिला सो0आ0 समन्वयक	मुरादाबाद	9411683370
169	रोहिताश यादव	जिला सो0आ0 समन्वयक	बदांयू	9458476788
170	अन्जू भारद्वाज	जिला सो0आ0 समन्वयक	मुज्जफरनगर	9997154047

171	मनोज कुमार शर्मा	जिला सो0आ0 समन्वयक	हाथरस	8273145027
172	कंचन कुमारी	जिला सो0आ0 समन्वयक	गाजीपुर	9670008574
173	अनिल कुमार श्रीवास्तव	जिला सो0आ0 समन्वयक	संतरविदासनगर भदोही	9415871209
174	हेमलता कुशवाहा	जिला सो0आ0 समन्वयक	झांसी	9455323336
175	पुष्पा यादव	जिला सो0आ0 समन्वयक	गोरखपुर	9616050859
176	अनिल सिददू	जिला सो0आ0 समन्वयक	अमरोहा	9410892461
177	प्रीतम कुमार	जिला सो0आ0 समन्वयक	महोबा	9125492140
178	प्रवीण कुमार	जिला सो0आ0 समन्वयक	बागपत	9927839338
179	राजेन्द्र प्रसाद	जिला सो0आ0 समन्वयक	सोनभद्र	9918798044
180	अर्चन	जिला सो0आ0 समन्वयक	चित्रकूट	9651718810
181	अवधेश कुमार चौरसिया	जिला सो0आ0 समन्वयक	बलिया	9628341500
182	इन्द्रभूषण सिंह	जिला सो0आ0 समन्वयक	हरदोई	8756578818
183	ममता भारती	जिला सो0आ0 समन्वयक	सुल्तानपुर	9450172859
184	कुलदीप थापक	जिला सो0आ0 समन्वयक	जालौन	9451703110
185	विनोद कुमार	जिला सो0आ0 समन्वयक	सहारनपुर	9759899809
186	प्रकाश सिंह	जिला सो0आ0 समन्वयक	फतेहपुर	9235414709
187	कोक सिंह सिसौदिया	जिला सो0आ0 समन्वयक	आगरा	9927044413
188	आनन्द कुमार पाण्डेय	जिला सो0आ0 समन्वयक	अमेठी	9721075787
189	पूनम जायसवाल	जिला सो0आ0 समन्वयक	देवरिया	9936396135
190	मो0 राशिद	ब्लाक सो0आ0 समन्वयक	ब्लाक सैदनगर, रामपुर	9760002861
191	वीरेन्द सिंह	सहायक अभियन्ता	कौशाम्बी	9454068764
192	हरिमोहन शर्मा	सहायक अभियन्ता	मुज्ज्फरनगर	9412648299
193	मो0 तारिक	सहायक अभियन्ता	अमरोहा	9415167781
194	मुकेश कुमार शर्मा	सहायक अभियन्ता	बिजनौर	9759127447
195	सुनील गुप्ता	ए.एस.ओ.	अलीगढ	9808628753
196	विक्रान्त सिंह	ए.पी.ओ.	बहराइच	9389031450
197	रश्मि गर्ग	ए.पी.ओ.	बुलन्दशहर	9410671982
198	ओम प्रकाश पाण्डेय	निरीक्षक उद्योग	लखनऊ	9415338416
199	हरपाल सिंह	लेखाकार	बिजनौर	9997288603

200	सर्व श्री / श्रीमती / कु0 हरिवंश प्रजापति	ग्राम प्रधान	ग्रा0पं0–खिदिराबाद, वि0ख0–सदर, जिला– गाजीपुर	9415972478
201	मो0 नईम	ग्राम प्रधान	विकास खण्ड–चित्तौरा, जिला– बहराइच	9839074295
202	तेज सिंह	ग्राम प्रधान	ग्राम पंचायत–जऊपुरा, विकास खण्ड–बिचपुरी, जिला– आगरा	9758425520
203	समरजीत	ग्राम प्रधान	विकास खण्ड–राही, जिला– रायबरेली	9839551072
204	यशवन्त सिंह	ग्राम प्रधान	ग्राम–ब्रंह्मा, वि0ख0–सफीपुर, जिला– उन्नाव	8756015287
205	लवकुश मौर्य	ग्राम प्रधान	ग्राम– कबरा, वि0ख0–करछना, जिला– इलाहाबाद	9651334155
206	जय बहादुर यादव	ग्राम प्रधान	ग्राम पंचायत कोतवालपुर वि0ख0–सिरकोनी, जिला– जौनपुर	9956161741
207	योगेन्द्र नाथ सरोज	ग्राम प्रधान	विकास खण्ड–जलालपुर, जिला– जौनपुर	7376586155
208	जुगल किशोर	ग्राम प्रधान	ग्राम पंचायत–हुसेना, वि0ख0–मुस्करा, जिला– हमीरपुर	9452308738
209	प्रेम नारायण दुबे	ग्राम प्रधान	ग्राम–दुर्गापुर, वि0ख0–महुआ, जिला– बांदा	9452315206
210	द्वारिका प्रसाद मिश्रा	ग्राम प्रधान	ग्राम–बारी, विकास खण्ड–चरखारी, जिला– महोबा	9450851715
211	महेन्द्र सिंह	ग्राम प्रधान	ग्राम व पोस्ट–पाठा, वि0ख0–चरखारी, जिला–महोबा	9956022795
212	रविकरण	ग्राम प्रधान	ग्रा0 व पो0–कुऑ, वि0ख0–चरखारी, जिला– महोबा	9793825956
213	देवेन्द्र सिंह	ग्राम प्रधान	ग्राम पंचायत–बरायं, वि0ख0–चरखारी, जिला– महोबा	9450265540
214	फयाराम मौर्य	ग्राम प्रधान	वि0ख0– फुलाना भूरेभार, जिला– सुल्तानपुर	7379001047
215	राहुल यादव	ग्राम प्रधान	ग्रा0 पं0–डाहीनी, वि0ख0–शिकोहाबाद, जिला– फिरोजाबाद	9319776900
216	सुमन सिंह	ग्राम प्रधान	ग्रा0पं0, बगहा, विकास खण्ड–बी0के0टी0, जिला– लखनऊ	9559488201

217	जयवीर सिंह	ग्राम प्रधान	ग्राम चौवारी, वि0ख0–क्यारा, जिला– बरेली	9412738152
218	राम कुमार मिश्र	ग्राम प्रधान	ग्रा0पं0–अमोयी कलॉ, वि0ख0– रामनगर, जिला– बाराबंकी	9721103333
219	प्रेम सिंह	ग्राम प्रधान	ग्राम–पिपरौठ, ब्लाक–फरह, जिला– मथुरा	9837028088
220	मसीउल्लाह	ग्राम प्रधान	ग्राम–बाडी, वि0ख0–सिधौली, जिला– सीतापुर	8756147606
221	नरेन्द्र गुप्ता	ग्राम प्रधान	ग्रा0पं0 सीमन खेड़ा वि0ख0–सदै नगर, जिला– रामपुर	9759681786
222	नितेन कटियार	ग्राम प्रधान	वि0ख0–शकरी खुद, जिला– कन्नौज	9452312650
223	प्रदीप कुमार	ग्राम प्रधान	सदर ब्लाक, जिला– मुजफ्फरनगर	9412215051
224	अरपेन्दर सिंह	ग्राम प्रधान	ग्राम–कन्डरावाला, पो0–टाण्डा माईदास, जिला–बिजनौर	08006861115
225	शिव शंकर यादव	ग्राम प्रधान	वि0ख0–तरकुलवा, जिला– देवरिया	9415828014
226	वलिभद्र नाथ शुक्ल	ग्राम प्रधान	ग्र0पं0–सिसवा बुर्जुग, वि0ख0– जोमीया , जिला–सिद्धार्थनगर	9415767569
227	राम मूर्ति सिंह	ग्राम प्रधान	ग्रा0पो0–हड़ियागाढ़ा, जिला–गोण्डा	9984075153
228	सुमेन्हरा सिंह	ग्राम प्रधान	ग्राम पंचायत–कौछोड, वि0ख0–धनीपुर, जिला– अलीगढ़	9456985363
229	महेन्द्र कुमार यादव	ग्राम प्रधान	ग्राम व वि0ख0–धनीपुर, जिला– अलीगढ़	9837733828
230	मनोज कुमार मिश्रा	ग्राम प्रधान	ग्रा0 व पो0 मालौ, विकास खण्ड– चौबेपुर, जिला–कानपुर नगर	9919305112
231	बिडरा देवी	ग्राम प्रधान	ग्रा0पं0–चाऊपुर, वि0ख0–हरपालपुर, जिला– हरदोई	9919002489
232	रणजीत सिंह	ग्राम प्रधान	ग्राम पंचायत–लाडूपुरा, वि0ख0– नदीगॉव, जनपद–जालौन	9450485844
233	रीता दीक्षित	ग्राम प्रधान	ग्रा0पं0–अमरा, वि0ख0–फूल बेहड़, जिला– लखीमपुर–खीरी	9415087861
234	अजय कुमार सिंह	ग्राम प्रधान	विकास खण्ड–अछल्दा, जिला– औरैया	9719975449
235	सलीम अहमद	ग्राम प्रधान	वि0ख0–खिड़का जुनारदार जिला– सहारनपुर	9758203596

236	विजय कुमार पाल	ग्राम प्रधान	ब्लाक–सदर, जिला–प्रतापगढ़	9616624994
237	सियाराम यादव	ग्राम प्रधान	ग्राम– चक्की, विकास खण्ड मलवा, जिला–फतेहपुर	9651127653
238	राशिद अलजी खान	ग्राम प्रधान	खिड़का मटकवा, ब्लाक– मुजफ्फरनगर, जिला– सहारनपुर	9720139312
239	संजीव कुमार सिंह	ग्राम प्रधान	वि0ख0–बालपुर, जिला–बलरामपुर	9415846882
240	सुरेन्द्र सिंह	ग्राम प्रधान	ग्रा0–चित्तविसॉव, पो0–फतेहपुर ब्लाक–रानीपुर, जिला– मऊ	9452209876
241	प्रभू दयाल	ग्राम प्रधान	ग्राम–करनापुर, पो0–करोड़, ब्लाक– मरौरी, जिला–पीलीभीत	9761321018
242	गोविन्द यादव	ग्राम प्रधान	ग्राम–खालिदपुर, वि0ख–अहिरौला, जिला– आजमगढ़	9792262436
243	अजयवीर	ग्राम प्रधान	ग्राम डिलरा रामपुर मुरादाबाद	9760061036
244	रवीन्द्र दीक्षित	ग्राम प्रधान	ग्रा0पं0–ईश्वरीपुर, विकास खण्ड–महेवा, जनपद–इटावा	9412429876
245	निरंजन सिंह	ग्राम प्रधान	ग्राम– बल्लीदादपुर, विकास खण्ड–अवागढ़, जिला–एटा	9759779754
246	हरिराज	ग्राम प्रधान	वि0ख0– जेवर जिला– गौतमबुद्ध नगर	8954314256
247	दलपत सिंह	ग्राम प्रधान	मैथरा–आलपुर, वि0ख0–बहजोई जिला– सम्भल	9759553768
248	भूदेव	ग्राम प्रधान	वि0ख0– बहजोई, जिला– सम्भल	09758778494
249	मंजूलता सिंह	ग्राम प्रधान	ग्राम–कोटवा, वि0ख0–तिलोई जिला–अमेठी	9838426162
250	अखलेश कुमार यादव	ग्राम प्रधान	ग्रा0पं0–पदमनेर, वि0ख0–बेवर, जिला–मैनपुरी	9411203201
251	डॉ0 दिनेश कुमार सिंह	ग्राम प्रधान	ग्राम–नुऑव, पो0 चुनार, जिला–मीरजापुर	9453495240
252	रमाशंकर सिंह	ग्राम प्रधान	ग्रा0 गोरन्हनपुर, वि0ख0–राजगढ, जिला–मीरजापुर	09415206569
253	साजिद खॉ	ग्राम प्रधान	वि0ख0–शाहबाजनगर, जिला–शाहजहॉपुर	9956568691
254	वीरेन्द्र सिंह	ग्राम प्रधान	ग्राम–उमरहा, पोष्ट–महगॉव, जनपद–कौशाम्बी	9161440788
255	नन्दलाल	ग्राम प्रधान	ग्राम–खिचरी, ब्लाक–मानिकपुर,	9794672078

			जनपद–चित्रकूट	
256	रमेश यादव	ग्राम प्रधान	वि0ख0–सदर, जिला–महराजगंज	9918142162
257	सावेन्द्र सिंह	ग्राम प्रधान	वि0ख0अमरोहा, जनपद–अमरोहा	8057150055
258	राकेश कुमार	ग्राम प्रधान	ग्राम–गंगेरूआ, जिला–बुलन्दशहर	9837384306
259	सीडरूल अनवर अन्सारी	ग्राम प्रधान	वि0ख0–बसराला जगत, जिला–बुलन्दशहर	9410023310
260	विक्रम	ग्राम प्रधान	ग्राम व पोष्ट– सलखन, वि0ख0– राबट्सगंज, सोनभद्र	9455237461
261	देवी दयाल यादव	ग्राम प्रधान	ग्रा0व पो0–खिल्लली, ब्लाक–मोठ, जिला–झॉसी	415587631
262	अजय कुमार मिश्रा	ग्राम प्रधान	ग्रा0 पो0–मोहाना, वि0ख0– सरवनखेड़ा, जिला–कानपुर देहात	8858163547